न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 251/2017 वाद

1. हुक्मीचन्द पिता भगवाना धाकड़, आयु वयस्क, निवासी जमालखेड़ा।
2. प्रभुलाल पिता भगवाना धाकड़, आयु वयस्क, निवासी जमालखेड़ा।
3. रूकमणी बाई पुत्री भगवाना धाकड़, आयु वयस्क, निवासी जमालखेड़ा।
4. सुगणा बाई पुत्री भगवाना धाकडड़, आयु वयस्क, निवासी जमालखेड़ा।

– प्रार्थीगण

//बनाम//

1. बलवन्त पिता औंकारलाल चपलोत जैन, आयु वयस्क, निवासी बाड़ी।
2. घनश्याम पिता राधेश्याम धाकड़, आयु वयस्क, निवासी जमालखेड़ा।
3. पारस पिता धनराज धाकड़, आयु वयस्क, निवासी जमालखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 188 रा.का.अधि.

श्री जगदीश मेनारिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण, उपस्थित

निर्णय दिनांक 27.05.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा जमालखेड़ा में खाता संख्या 107 की आराजी नं. 316 व 317 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0700 हेक्टेयर भूमि स्थित है जो वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादीगण उक्त भूमि पर बिना किसी बाधा के शामलाती तौर पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण बिना किसी हक अधिकार के नाजायज रूप से प्रार्थीगण से लड़ाई झगड़ा करते हैं। वादीगण को उनकी खातेदारी भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमदा हैं तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी कर रहे हैं। नीवें खोद कर निर्माण कार्य करने पर आमदा हैं तथा समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस में अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र के कथनों को ही दोहराया है तथा वादीगण के रेकार्डेड खातेदार होने से स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करने का

आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। साथ ही नकल जमाबन्दी संवत 2072–75 ग्राम जमाल खेड़ा की खाता संख्या 107 की प्रति प्रस्तुत की है। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी अनुसार विवादित भूमि आराजी नं. 316 व 317 अन्य आराजीयात के साथ वादीगण की शामलाती खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। वादीगण विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार हैं जिन्हें अपने खातेदारी आराजीयात का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का पूर्ण रूप से विधिक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध विवादित भूमि से प्रकट नहीं होता है। ना ही प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुए हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण अपना वाद पत्र साबित करने में सफल रहे हैं। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जाती है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि वाके मौजा जमालखेड़ा में खाता संख्या 107 की आराजी नं. 316 व 317 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0700 हेक्टेयर भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत नहीं करें ना करावें, वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 27.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 251/2017 वाद

1. हुक्मीचन्द पिता भगवाना धाकड़, आयु वयस्क, निवासी जमालखेड़ा।
2. प्रभुलाल पिता भगवाना धाकड़, आयु वयस्क, निवासी जमालखेड़ा।
3. रूकमणी बाई पुत्री भगवाना धाकड़, आयु वयस्क, निवासी जमालखेड़ा।
4. सुगणा बाई पुत्री भगवाना धाकडड़, आयु वयस्क, निवासी जमालखेड़ा।

– प्रार्थीगण

//बनाम//

1. बलवन्त पिता औंकारलाल चपलोत जैन, आयु वयस्क, निवासी बाड़ी।
2. घनश्याम पिता राधेश्याम धाकड़, आयु वयस्क, निवासी जमालखेड़ा।
3. पारस पिता धनराज धाकड़, आयु वयस्क, निवासी जमालखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 188 रा.का.अधि.

प्रकरण में आज दिनांक को वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश मेनारिया की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जाती है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि वाके मौजा जमालखेड़ा में खाता संख्या 107 की आराजी नं. 316 व 317 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0700 हेक्टेयर भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत नहीं करें ना करावें, वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावे।

आज दिनांक को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा सहित जारी किया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2019.12.06 17:55:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: